29/3/2023

पजावली पेश हुई।

अजायीजा की तरफ से कागज तरफैन पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन लिखित पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। अतः एतद्वारा प्रतिपक्ष पर्याप्त के आदेश 09 नियम 05 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पजावली अपने नम्बर से बन्द होकर दाखिले दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:08:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner